न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट अरडका

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 17/2018

1. श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री दातार सिह
2. गोपालसिह पुत्र श्री सोहनसिंह
   दोनो जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा, तहसील व जिला अजमेर
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उगमाराम
4. सूरजमल पुत्र श्री हीरा
5. सुगनचन्द पुत्र श्री हीरा
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मगरा, तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर
2. रूपसिंह पुत्र श्री कल्याण सिह जाति राजपू निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश **दिनांक 03.1.2022**

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान फोलाअप शिविर में ग्राम पंचायत अरडका में मजमेंआम पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्राथीगण के द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी एवं सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजियात ग्राम मगरा उप तहसील अरडका तहसील व जिला अजमेर के खै. खसरा नम्बर 640, 641,642 के वर्किग खसरा नम्बर 801 के आधार खसरा नम्बर 795, 796, 797 है। तथा इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 4 लगायत 5 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पश्चिम की और से प्रार्थी संख्या 1 लगायत के साथ लगती हुई

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

ग्राम मगरा उप तहसील अरडका तहसील व जिला अजमेर के चौ. खसरा नम्बर 638 के वर्किंग खसरा नम्बर 797 व 815 के आधार खसरा नम्बर 797, 815 चौ. खसरा नम्बर 639 के आधार खसरा नम्बर 810 चौ. ख.नं. 705 के वर्किंग खसरा नम्बर 799 व 814 है। उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने अपने खसरा नम्बर पर मौके पर अपने पूर्वजो के समय से ही काविज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात के चौसाला खसरा नम्बर 642, 641, 640, 638, 639, 705 पूरे एक चक के रूप में अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 642, 641, 640 जो कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी के है तथा प्रार्थी संख्या 4 व 5 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 638, 639 व 705 के मध्य किसी प्रकार का कोई रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित नही है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर के निर्मित वर्किंग खसरा नम्बर 801 जो कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की आराजीयात है तथा खसरा नम्बर 797, 798, 799 जो कि प्रार्थी संख्या 4 लगायत 5 की खातेदारी की आराजीयात है के मध्य भी चौसाला नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का कोई रास्ता अंकित नही है और ना ही वास्तव में मौके पर कोई रास्ता विघमान है परन्तु हाल ही में बन्दोबस्त विभाग द्वारा दोराने सेटलमेन्ट वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधारभूत नक्शा ट्रेस मुर्तिब करते समय प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के वर्किंग खसरा नम्बर 801 के आधारभूत खसरा नम्बर 795, 796 एवं एवं 797 तथा प्रार्थी संख्या 4 व 5 के खातेदारी के खसरा नम्बर 792, 808 व 809 के मध्य सहवन से खसरा नम्बर 797 रकबा 0.03 हैक्टर रास्ता अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात के मध्य वर्किंग जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं मौके पर भौतिक रूप से कोई रास्ता अवस्थित नही था न ही कभी रहा है लेकिन आधारभूत नक्शा ट्रेस भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मुर्तिब करते समय आधारभूत खसरा संख्या 796, 795, एवं 797 के पूर्वी ओर से तथा खसरा संख्या 798, 808 एवं 809 के पश्चिम के मध्य रास्ता आधार नक्शा ट्रेस में दर्शा दिया गया जबकि मौके पर अथवा चौसाला जमाबंदी वर्किंग जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में कभी भी रास्ता दर्ज नही रहा है न ही भौतिक रूप से अवस्थित रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर बन्दोबस्त विभाग द्वारा आधार नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 796, 795 व 797 तथा खसरा नम्बर 798, 808 व 809 के मध्य गेर कानूनी रूप से रास्ता दर्शित किया है जिसे आधार नक्शा ट्रेस से तर्क किया जावे तथा खसरा नम्बर 797 रकबा 0.03 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। रूपसिंह पुत्र कल्याण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी द्वारा दिया गया । जिस पर उभय पक्ष को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 4 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर रूपसिंह पुत्र कल्याण सिह को अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 797 राजस्व रिकार्ड में मौके पर ही रास्ता है इसलिए त्रुटि व गलत होने का प्रश्न ही नही है। तहसीलदार अजमेर द्वारा अनतर्गत धारा भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखल किया गया अप्रार्थी संख्या 2 का रास्ता बंदी करने एवं आने जाने का रास्ता अवरूद्व करने पर अप्रार्थी संख्या 2 ने जिला कलेक्टर अजमेर व तहसीलदार अजमेर के समक्ष अतिक्रमण हटाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार अरडका ने प्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 16.11.2017 को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की ओर दिनांक 29.12.2017 को गेर मुमकिन रास्ता सिवायचक होना रिकार्ड में दर्ज है उक्त अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश दिया और दण्ड स्वरूप एक रूपये की पचास गुण कुल शास्ती 50 रूपये से दण्डित किया गया इसलिए उक्त तथ्यों को छुपाने के लिए प्रार्थीगण ने उक्त झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार अजमेर के द्वारा दोराने केम्प जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मगरा उप तहसील अरडका के हाल खसरा नम्बर 797 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मु. रास्ता को स्वयं के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने तथा किस्म गै.मु. रास्ता को राजस्व मानचित्र में तर्क करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु उल्लेखित ग्राम मगरा का हाल खसरा नम्बर 797/0.03 किस्म गैर मु. रास्ता रेकार्ड अनुसार खाता नम्बर 1 में दर्ज होकर सिवायचक शीर्ष के स्वामित्व की आराजी होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा वांछित शुद्वि

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

सर्वथा अविधिक होकर अनुचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पटवारी हलका एवं तहसीलदार अजमेर की मुताबिक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मगरा का नाहिलान अरडका के हाल खसरा नम्बर 797 रकबा 0.93 हैक्टर किस्म गैर मु. रास्ता को खाते के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने तथा किस्म गै.मु. रास्ता को राजस्व मानचित्र में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थित ग्राम मगरा का हाल खसरा नम्बर 797/0.93 किस्म गैर मु. रास्ता रेकार्ड अनुसार खाता नम्बर 1 में दर्ज होकर सिवायचक शीर्ष के शामिल की आराजी होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहित शुद्धि उचित प्रतीत नही होती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 03.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर